to type by the Medical Board attached to Special Employment Exchanges for the Handicapped (or by a Civil Surgeon where there is no such Board) may be exempted from passing the typing test.			years of in the case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes). **Note 2 :** If more number of such employees than the number of vacancies available in this regard qualifies the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment**
11	12	13
As stated in column (10).	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation): 1. Nursing Advisor, Director General of the Central Government Health Services - Chairperson, 2. Principal, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing - Member, 3. Deputy Director- Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing - Member; 4.AdministrativeOfficer, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing –Member.	Not applicable.

[F. No. A.11011/10/2024-N/DGHS]

AMIT KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 132.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के विकिरण चिकित्सा विभाग में वरिष्ट विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, वरिष्ट विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2025 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.– वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.– इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम ।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**	**चयन या अचयन पद ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वरिष्ट विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् ।	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7- (44900 - 142400/- रुपये)।	चयन ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**
(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऐसे विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् जिन्होंने स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग या मंत्रालय द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **<u>प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) :</u>** (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: आवश्यक (क): किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् का दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड ट्रेनिंग और डिप्लोमा के बाद सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में कम से कम छः वर्ष का अनुभव; या (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् में तीन वर्ष का बी.एससी डिग्री कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड प्रशिक्षण और डिग्री के बाद सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव; या (ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् का दो वर्ष का पोस्ट ग्राडजुएयट डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड प्रशिक्षण और डिप्लोमा के बाद सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में कम से कम	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष; 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के विकिरण चिकित्सा विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. उप निदेशक (संबंधित) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 4. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

तीन वर्ष का अनुभव। (घ) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् में पोस्ट ग्रेजुएयट डिग्री उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड प्रशिक्षण और पोस्ट ग्रेजुएयट डिग्री के बाद सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य।	

[फा. सं. ए.11018/05/2022-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 6th August, 2025

G.S.R. 132.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Radiotherapy Technologist in the Radiotherapy Department of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Senior Radiotherapy Technologist (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay-matrix.– The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Senior Radiotherapy Technologist	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made.**
(10)	**(11)**
By promotion failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion :** Radiotherapy Technologist in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital with five years of regular service in Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix and having successfully completed training of at least two weeks as prescribed by the Department or Ministry. **Note :** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half or such qualifying service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): (i) Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research Institutions: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) officials in level -06 of the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years of regular service in the parent cadre or department. and (B) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential :** (a) two years' radiation therapy technologist diploma course based on the minimum course content prescribed by the competent authority (Atomic Energy Regulatory Board) passed from a recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum six years post diploma experience in an institute recognised by the government; Or (b) three years' Bachelor of Science in radiation therapy technology degree course, based on the minimum course content prescribed by the competent authority from a

	recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum five years of post-degree experience in an institute recognised by the government; or (c) two years post graduate diploma course in radiation therapy technology based on the minimum course content prescribed by the competent authority from a recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum three years of post-diploma experience in an institute recognised by the government; or (d) Masters of Science in radiation therapy technology, based on the minimum course content prescribed by the competent authority from a recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum three years of post Masters of Science experience in a recognised institute. **Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2 :** The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3 :** The maximum age- limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date or receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotional committee (for considering promotion) consisting of: Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital – Chairperson; 2. Head of the Radiotherapy Department, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital - Member; 3. Deputy Director (Concerned) Directorate General of Health Services - Member; 4. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital - Member.	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

[F. No. A.11018/05/2022-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 133.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में उप मुख्य भौतिक चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में उप मुख्य भौतिक चिकित्सक, (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2025 है।